

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपरखण्ड अधिकारी मुकाम चिड़वा

अंकित करवा बनाम महेन्द्र सिंह वगैर

क्रमा न सन

दिख म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए ।
----------	-----------------------------------	---

9
21

परावली आठ आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई परावली पर विभाजक पुस्तक प्राप्त हुए। शामिल मिल रहे। वकील वारी ने विभाजक पुस्तक की क्रम सं 7 में वर्णित खानेदार सुकैश, तारामणी, अतैरी, चन्द्रकला पुनिया अजवानाराम ने अफि खसरा नं 57 रकबा 6.50 हे में उन्त-पारो ने अपना हिस्सा आयालय में उपस्थित होकर अपने दोनो भाइयों के नाम शपथ पर पेश कर, कर दिया है अफि खसरा नं 57 में दो ही खानेदार अखिया उरावर घोषित किये जाते हैं। शेष विभाजक पुस्तक कर संख्या 1 से 6 प्रभाव रहेगा। अफि खसरा नं 57 का भी 1/2-1/2 के अनुसार विभाजक कर नवसे में परमीस की आवे। विभाजक पुस्तक निर्णय क डिक्ती का भाग रहेगा। उन्तनुसार नहीलदा पिडांग पर्यकारण का सपथ रिक्वर्ड में अमल इरामड को फनी डिक्ती जारी हो। परावली केवल शुभल होकर नवसे ए कर की प्रकर वाड नवसेल प्रपता इरकील इपत हो।

उप खण्ड अधिकारी
चिड़वा
मिकडाल 1982

